न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) सिरोही
अनवान शीर्षक हीराराम बनाम तीजा व अन्य
अर्न्तगत धारा 53 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत
राजस्व वाद सं.16/2019 निर्णय आदेशिका दि 30–7–2019

दिनांक 31–7–2019

———————— पत्रावली पेश हुई 1 वकील वादी श्री दशरथसिंह आढा उप01 प्रतिवादी संख्या 7 स्टेट तहसीलदार सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार न्यायालय हाजा उपस्थित है।

वकील वादी द्वारा दौराने सुनवाई विचारण इस प्रकरण मे साक्ष्य वादी बंद करने का निवेदन करने से साक्ष्य वादी बंद की गई तथा वकील वादी द्वारा आज ही अंतिम करने व अंतिम बहस सुनने का निवेदन करने से न्याय हित मे आज न्यायालय मे वकील वादी एवं प्रतिवादी संख्या 10 स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार न्यायालय हाजा की अंतिम बहस सुनी गई ।

वकील वादी ने अपनी बहस मे वादपत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि राजस्व ग्राम रामपुरा पटवार हल्का रामपुरा तहसील व जिला सिरोही के वर्तमान खसरा नंबर 819 क्षैत्रफल 1.38 हैक्टेयर कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 के मध्य स्थित कहै जिसमे वादी व प्रतिवादीगण को– टिनेण्ट होकर को– शेयरर है तथा उक्त भूमि मे वादी का 1/2 हक हिस्सा है और 1/2 हिस्से मे प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 है जिस बाबत कोई विवाद नही है। उक्त कृषि भूमि मे मौके पर वादी व प्रतिवादीगण द्वारा किया जाता है क्योंकि उक्त भूमि मे प्रतिवादीगण का 1/2 हक हिस्सा है और वादी अकेले का 1/2 हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण–वादी के उक्त भूमि मे टाईटल होने से भी मना करते है और प्रतिवादीगण उक्त भूमि को बेचने के भी फिराक मे है तथा वादी की उक्त कृषि मे उसके हक हिस्सों को नुकसान पहुँचाने हेतु आमदा है वादी व प्रतिवादीगण उक्त भूमि मे सहखातेदारान है जिस पर इन्च इन्च भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण का हक हिस्सा है। वर्तमान मे प्रतिवादीगण –वादी को संयुक्त आराजी मे प्रवेश करने से रोक रहे है जिसे वादी का विवादग्रस्त आराजी मे सहखातेदारान होने व संयुक्त रूप से खेती करने का पूरा अधिकार होने के बावजूद वादी को खेती करने से वंचित किया जा रहा है। वादी के अधिकार पर गंभीर रूप से आघात है उक्त कृत्य से वादी को खेती करने मे रूकावट होने से उसको आर्थिक रूप से नुकसान पहुँच रहा है। उपरोक्त परिस्थितियों मे उक्त भूमि मे वादी व प्रतिवादीगण के साथ सहखातेदारान होते हुये भी कृषि करने मे प्रतिवादीगण के साथ असमर्थ है और सम्पूर्ण कृषि भूमि का बाय मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन किया जाना व इसी अनुसार लगान का भी पक्षकारान के मध्य बंटवाड किया जाना आवश्यक है। अतः बाद सुनवाई पक्षकारान वादी के पक्ष मे और प्रतिवादीगण के विरूद्व वादी के पक्ष मे और प्रतिवादीगण के विरूद्व विवादित आराजी का मिटस एण्ड बाउण्ड मे विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी करावें तथा उक्त वादी व प्रतिवादीगण के मध्य लगान की देय रकम व बंटवाड करने तथा उक्त कृषि आराजी मे वादी का 1/2 हक हिस्सा व प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से 1/2 हक हिस्सा विभाजन करने की डिक्री प्रदान करावें ।

विचारण प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 28–3–2019 को दौराने सुनवाई प्रतिवादी संख्या 1 श्रीमती तीजों 2–भरतकुमार 3–गणेशराम ने हाजिर होकर वादग्रस्त कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 तक के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है। वादग्रस्त कृषि भूमि जमाबंदी संवत 2073 से 2076 के नया खाता

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Harsmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:29:38 IST
Reason: SelfAttested

सं. 88 खसरा नंबर 819 रकबा 1.3800हैक्टेयर मे खातेदारान संयुक्त खाते की भूमि मे दर्ज वादी का 1/2 हक हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 का संयुक्त रूप से दर्ज 1/2 हक हिस्सा के विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी करने पर सहमति/मन्जुर करना बताया। इसी तरह न्यायालय मे दिनांक 29–5–2019 को प्रतिवादी संख्या 5 गोपाल तथा दिनांक 17'6–2019 को प्रतिवादी संख्या 4 शैतान ने हाजिर होकर वादपत्र अनुसार बंटवाडा जमाबंदी मे दर्ज हक हिस्से अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि का विभाजन बाय मिटस एण्ड बाउण्ड के आधार पर वादग्रस्त कृषि भूमि के विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी करने पर कोई आपत्ति नही होना बताया है। इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 17–6–2019 को प्रतिवादी संख्या 6 शिवलाल को सम्मन तामिल होने के बावजूद निरन्तर तारीख पेशी पर सुनवाई के दौरान हाजिर नही होने तथा आज भी सुनवाई के दौरान हाजिर नही होने से न्यायालय द्वारा हाजिर होने हेतु बार बार आवाजे लगवाने के बावजूद प्रतिवादी संख्या 6 स्वंय या इनके वकील प्रतिनिधि कोई भी न्यायालय समय तक हाजिर नही होने से न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 6 शिवलाल के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाने के आदेश दिये गये ।

प्रतिवादी संख्या 7 स्टेट तहसीलदार,सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार न्यायालय हाजा ने अपनी बहस निवेदन किया कि विचारण प्रकरण मे स्टेट तहसीलदार सिरोही फोरमल पक्षकार होने तथा वादग्रस्त कृषि आराजी से कोई राजहित प्रभावित नही होने से वादग्रस्त कृषि आराजी का वर्तमान जमाबंदी मे पक्षकारान के दर्ज हक हिस्से अनुसार बंटवाडा कर विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की जाये तो कोई आपत्ति नही है।

हमने विचारण प्रकरण की मूल पत्रावली व संलग्न वादपत्र,वादग्रस्त कृषि आराजी की जमाबंदी संवत 2073–2076 के खाता नंबर 88 के खसरा नंबर 819 क्षैत्रफल 1.3800 हैक्टेयर किस्म बारानी I व नक्शा का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया । वकील वादी व प्रतिवादी संख्या 7 स्टेट तहसीलदार,सिरोही की अंतिम बहस सुनकर उस पर भी मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध वादग्रस्त कृषि भूमि की जमाबंदी अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 तक के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि मे वादी का 1/2 हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 तक का संयुक्त 1/2 हक हिस्सा है। उभय पक्षकारान वादग्रस्त कृषि भूमि के को–टिनेण्ट व को–शेयरर है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 वादी को उनके हक हिस्से की कृषि भूमि मे काश्त करने मे दखलंदाजी व वादी को उनके खातेदारी हक हिस्से की भूमि से बेदखल करने की धमकी देते है। वादी को उनके हक हिस्से मे कृषि कार्य करने एवं जीविकोपार्जन करने मे दखलन्दाजी करते है। वादी स्वंय ने वादी का वाद स्वीकार फरमाकर वादी के पक्ष मे व प्रतिवादी संख्या 1 विरूद्व इस आश्य की प्राथमिक डिक्री जारी करावें कि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे दर्ज खातेदारान के हक हिस्से अनुसार बाय मिटस एण्ड बाउण्ड के आधार पर प्राथमिक डिक्री जारी कराकरं उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने की डिक्री जारी करने का निवेदन किया है। अतः उपरोक्त सभी के आधार पर वादीगण का यह वाद अर्न्तगत धारा 53 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत विरूद्व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 तक का वास्ते विभाजन कृषि आराजी का स्वीकार

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Harsmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:29:38 IST
Reason: SelfAttested

योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार सिरोही (भूमिधारी अधिकारी) को आदेश दिया जाता है कि मौजा रामपुरा पटवार हल्का रामपुरा तहसील सिरोही मे तहसील सिरोही जिला सिरोही मे वादग्रस्त कृषि आराजी की जमाबंदी संवत 2073–2076 के खाता नंबर 88 खसरा नंबर 819 क्षैत्रफल 1.3800 हैक्टेयर राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे दर्ज खातेदारान के हक हिस्से अनुसार बाय मिटस एण्ड बाउण्ड के आधार पर विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस दो प्रतियों मे तैयार कर एक माह मे इस न्यायालय मे भिजवाने की व्यवस्था करें । तदानुसार प्राथमिक डिक्री जारी हो । निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(हंसमुख कुमार)
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Harsmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:29:38 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व मुकदमें ईब्तदाई
(ओ.20 रूल 67 जाब्ता दिवानी)

सहायक कलेक्टर(उपखण्ड अधिकारी), सिरोही

बईजलास हंसमुख कुमार आर.ए.एस

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
हीराराम पुत्र धरमाजी जाति रेबारी पेशा खेती आयु व्यस्क नि.माकरोडा तहसील व जिला सिरोही		1—श्रीमती तीजा बेवा चतरारामजी 2—भरतकुमार पुत्र श्री जीवन 3— गणेशराम पुत्र श्री जीवन 4— शैतान पुत्र चतराजी 5— गोपाल पुत्र चतराजी 6— शिवलाल पुत्र चतराजी सभी जाति कुम्हार निवासी सिरोही तहसील व जिला सिरोही 7— राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सिरोही

राजस्व वाद अ.धा. 53 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत
वास्ते कृषि भूमि का विभाजन करने

राजस्व वाद सं 16/2019

यह मुकदमा आज रूबरू सहायक कलेक्टर एस.डी.ओ सिरोही व हाजरी वादी वकील श्री दशरथसिंह आढा तथा प्रतिवादी संख्या 7 स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार (ना.तहसीलदार कालन्द्री) उपस्थित ।विचारण वाद मे वादग्रस्त कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 तक के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की होने तथा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 तक ने वादग्रस्त कृषि भूमि की वर्तमान जमाबंदी दर्ज खातेदारान के हक हिस्से अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि का बाय मिटस एण्ड बाउण्ड के आधार पर विभाजन करने की सहमति जाहिर करने व प्रतिवादी संख्या 6 के विरूद्व न्यायालय द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाने के आदेश देने के व अप्रार्थी संख्या 7 स्टेट पैरोकार सरकार द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि के विभाजन से कोई राजहित प्रभावित नही होना जाहिर करने के फलस्वरूप वादी का यह वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा वादग्रस्त कृषि आराजी वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 तक के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त तथा पक्षकारान सहकृषक है। वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हक हिस्से व कब्जे काश्त करने व फसल व सिंचाई के लिये पानी को लेकर पक्षकारान के बीच किसी प्रकार का विवाद नही हो इस हेतु न्यायहित मे: तहसीलदार सिरोही(भूमिधारी अधिकारी) को आदेश दिया जाता है कि वादगस्त कृषि आराजी मौजा रामपुरा पटवार हल्का रामपुरा तहसील सिरोही मे स्थित वादग्रसत कृषि भूमि जमाबंदी संवत 2073 —2076 के खाता नंबर 88 के खसरा नंबर 819 क्षैत्रफल 1.3800 हैक्टेयर किस्म बारानी । के वर्तमान जमाबदी मे खातेदारान के दर्ज हक हिस्से अनुसार पक्षकारान के मध्य मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर वादग्रस्त कृषि भूमि के विभाजन के दौरान पक्षकारान के हितो व सुखाधिकारों मे मौके रास्ते व सडक सुविधाओं को ध्यान मे रखते हुये वादग्रस्त आराजी का बंटवाडा कर बंटवाडा प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस दो प्रतियों मे एक माह मे आवश्यक रूप से इस न्यायालय को भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें ।

बराब्स मेरे दस्तखत व मुहर के आज तारीख 31—7—2019 को जारी किया जाता है ।

मुदाई	रू.	पै.	मुद्वायलाह	रू.	पै.
स्टाम्प अरजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबुत			महन्ताना वकील		
रार्धा गवाहन			खर्चा गवाहान		
फीस कमीश्नर			फीस कमिश्नर		
मुतफरीक			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरीक		
मौजान			मौजान		

सहायक कलेक्टर(एस.डी.ओ.)
सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:29:38 IST
Reason: SelfAttested